प्रेस विज्ञप्ति
20.07.2026

'डिजिटल अरेस्ट' साइबर धोखाधड़ी एवं धन शोधन मामले में ईडी द्वारा पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत ली गई तलाशी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय, गोवा ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के अंतर्गत कई राज्यों में स्थित विभिन्न परिसरों पर एक बड़े पैमाने के 'डिजिटल अरेस्ट' साइबर धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया। इस मामले में एक वरिष्ठ नागरिक से लगभग 2.60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।

ईडी ने साइबर अपराध पुलिस थाना में दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जांच प्रारंभ की। जांच के अनुसार, सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों का प्रतिरूपण करने वाले धोखेबाजों ने फर्जी दस्तावेजों एवं निरंतर वीडियो निगरानी के माध्यम से पीड़िता को काल्पनिक 'डिजिटल अरेस्ट' में रखकर उसे भयभीत किया तथा उसके धन को सिंडिकेट के नियंत्रण वाले बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए विवश किया।

पीएमएलए के अंतर्गत की गई जांच में एक संगठित नेटवर्क की **कार्यप्रणाली** का खुलासा हुआ, जो साइबर अपराध से अर्जित आय का धन शोधन कर उसे देश से बाहर भेजने का कार्य करता है। ऐसे 'डिजिटल अरेस्ट' तथा अन्य साइबर धोखाधड़ी मामलों में अपराधी सर्वप्रथम पीड़ितों से प्राप्त धनराशि को व्यक्तियों एवं निष्क्रिय संस्थाओं के नाम पर खोले गए प्रथम स्तर के 'म्यूल' बैंक खातों में जमा कराते हैं। धन के स्रोत का पता लगाने से बचने के लिए इस राशि को तत्पश्चात सैकड़ों बैंक खातों तथा शेल/माध्यम कंपनियों के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित कर तेजी से स्थानांतरित किया जाता है। ये कंपनियां प्रायः नई स्थापित फर्में होती हैं, जिन्हें 'कमोडिटीज', 'एंटरप्राइजेज' अथवा 'ट्रेडिंग' संस्थाओं के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि उनका कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं होता और उनका एकमात्र उद्देश्य दूषित धन को प्राप्त करना, उसकी लेयरिंग करना तथा उसे आगे स्थानांतरित करना होता है।

इसके पश्चात इस प्रकार परतबद्ध धनराशि को बड़े पैमाने पर नकद जमा (बीएनए) मशीनों के माध्यम से संरचित ढंग से जमा कर पुनः औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में प्रविष्ट कराया जाता है तथा बाद में इसे विदेशी मुद्रा कारोबार करने वाली संस्थाओं की श्रृंखला के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। इनमें से अनेक विदेशी मुद्रा विनिमय कंपनियां वैध पूर्णकालिक मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) लाइसेंसधारी हैं, जिन्हें इस सिंडिकेट द्वारा गुप्त रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया गया अथवा मुखौटा संस्थाओं के रूप में उपयोग किया गया। ये कंपनियां बैंकिंग माध्यम से फर्जी चालानों के आधार पर धन स्वीकार करती हैं तथा इसके बदले समतुल्य **विदेशी मुद्रा** उपलब्ध कराती हैं। इस प्रकार अपराध से अर्जित भारतीय मुद्रा को अमेरिकी डॉलर एवं अन्य विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित कर भौतिक रूप से विदेश भेज दिया जाता है, विदेशों में व्यय किया जाता है अथवा अन्य माध्यमों से भारत से बाहर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से अपराध से अर्जित आय के प्लेसमेंट, लेयरिंग एवं इंटीग्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर मूल पीड़ितों से संबंधित वित्तीय लेखा-पथ (ऑडिट ट्रेल) को समाप्त कर दिया जाता है। तलाशी अभियान इसी नेटवर्क के संचालकों, नियंत्रकों एवं माध्यम (कंड्यूट) संस्थाओं को लक्ष्य बनाकर चलाया गया।

तलाशी के दौरान ईडी ने लगभग **1.50 करोड़** रुपये की भारतीय मुद्रा, लगभग **2 करोड़** रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा तथा लगभग **1.50 करोड़** रुपये मूल्य का सोना एवं आभूषण जब्त किए। इसके अतिरिक्त एक उच्च श्रेणी का मोटर वाहन (टोयोटा फॉर्च्यूनर) एवं अन्य चल परिसंपत्तियां भी जब्त की गईं। साथ ही मोबाइल फोन एवं लैपटॉप जैसे डिजिटल उपकरणों के रूप में महत्वपूर्ण आपत्तिजनक साक्ष्य तथा धन के प्रवाह एवं सिंडिकेट के संचालन से संबंधित अभिलेख भी बरामद कर जब्त किए गए।

इसके अतिरिक्त, धन शोधन नेटवर्क में शामिल व्यक्तियों तथा शेल, फॉरेक्स एवं माध्यम संस्थाओं द्वारा संचालित अनेक बैंक खातों, जिनमें अपराध से अर्जित आय होने का संदेह है, को धन के और अधिक अपव्यय अथवा स्थानांतरण को रोकने के उद्देश्य से पीएमएलए के प्रावधानों के अंतर्गत फ्रीज कर दिया गया है। जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों, अभिलेखों एवं **फ्रीज** किए गए बैंक खातों की जांच की जा रही है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।